सत्यमेव जयते

# न्यायालय
# सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू
## (पीठासीन अधिकारी– राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–150/2025 (GCMS No. 2025/271) दायरा दिनांक:–22.05.2025

संतोष सुथार पत्नी देवकी नंदन जाति जांगिड़ निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू

वादीनी

**बनाम**

1. किशनाराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
2. नानूराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
3. पपू सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
4. परताराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
5. भंवरी देवी पत्नी मोमनराम जाति जाट निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
6. भंवरी देवी पत्नी शंकरलाल जाति शर्मा निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
7. मोमनराम पुत्र मामचन्द जाति जाट निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
8. रूकमणी गुंसाई पत्नी गुलाबगर जाति गोसाई (गुंसाई) निवासी रेड़ी तह. तारानगर (चूरू)
9. रामनिवास शर्मा पुत्र गोपीराम शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
10. रोशनीदेवी पत्नी देवीलाल जाति सुथार निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
11. श्योकरण पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
12. दुर्गा पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
13. गीता पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
14. ममता पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
15. दीपचन्द पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
16. रोहिताष पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
17. विकास पुत्र मैना पुत्री उदमीराम जाति जाट निवासी जेतासरी तहसील सरदारशहर (चूरू)
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर व नायब तहसीलदार साहवा जिला चूरू
19. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धीरवास तह. तारानगर (चूरू)
20. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा तारानगर (चूरू)
21. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रैयाटूण्डा तह. तारानगर (चूरू)
22. शाखा प्रबन्धक एचडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा तारानगर

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. वादी:– श्री अनिल कुमार स्वामी एवं श्री धर्मपाल स्वामी।
2. प्रतिवादीगण सं. 1 ता 17:– श्री जीताराम शर्मा एवं मुकेश शर्मा।
3. प्रतिवादी सं. 18:– पैरोकार राज तहसीलदार तारानगर।

**दावा खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सपठित धारा 5 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954।**

**–:निर्णय अंतिम डिक्री:–**

निर्णय दिनांक:–19/04/2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 व सपठित धारा 5 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 वास्ते खातेदारी घोषणा एवं खाता

Jayendr

विभाजन किये जाने पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि आराजी खाता सं. 376 के ख. नं. 911/247 तादादी 7.2456 हैक्टेयर वाके रोही मौजा रेड़ी व खाता सं. 12 के ख. नं. 144 तादादी 10.3436 हैक्टेयर, ख. नं. 161 तादादी 19.3089 रोही मौजा रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है यही विवादित कृषिभूमियां है । वादीनी का ख. नं. 911/247 में 8/1459 हिस्सा तथा ख. नं. 144 व 161 में संयुक्त रूप से 8/1459 हिस्सा खरीद के बाद से ही खातेदारी में दर्ज है वादीनी खरीद के समय से ही ख. नं. 911/247 में अपने सम्पूर्ण हिस्सा की कृषिभूमि पर काबिज है वादीनी का ख. नं. 144 व 161 में कोई कब्जा काश्त नहीं है। उसका सम्पूर्ण कब्जा काश्त ख. नं. 911/247 में ही है जिसे वादीनी समतलीकरण करवाकर चारों और पट्टियां, एंगल रोपकर तारबन्दी कर अपने उपयोग उपभोग में निर्बाध रूप लेता आ रही है। शेष हिस्से के हकदार प्रतिवादी सं. 1 ता 12 है वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबन्दी संलग्न है। वादीनी ख. नं. 911/247 में अपने सम्पूर्ण 8/1459 हिस्सा की कृषिभूमि पर काचिज है जो अपना हिस्सा काश्त भी करता आ रही है लेकिन खाता मुश्तरफा (संयुक्त) होने से पक्षकारान के बीच भूमि काश्त के समय आसा पासा व किस्म को लेकर विवाद रहता है जिससे वादीनी अपना हिस्सा अच्छी तरह काश्त नहीं कर पाती है इसलिए वादी अपने 8/1459 हिस्से का कब्जा काश्त के अनुसार अलग से विभाजित करवाकर राजस्व रिकार्ड अलग से कायम करवाना चाहती है जिसके लिये यह खाता विभाजन का वाद पेश किया जा रहा है। वादीनी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा तथा अन्य लोगों से भी कहलवाया कि वे वाद की मद सं. 1 में वर्णित भूमि का कब्जा काश्त के अनुसार खाता अलग से विभाजित करवा कर राजस्व रिकार्ड अलग से कायम करवा देवें तो वे दिनांक 25.04.2025 को बमुकाम रेड़ी में ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये इसलिए यही तारीख वाद कारण है तथा वादाधार वादीनी को विवादित क्षिभूमि में सहखातेदार होने से प्राप्त है। दावा हाजा में खाता विभाजन का अनुत्तोष चाहा गया है तथा विवादित आराजी क्री लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है अतः उसके प्रतिनिधि तहसीलदार तारानगर को प्रतिवादी नं. 19 बनाया गया है। उक्त आराजी के कुछ खातेदारों ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सं. 20 ता 23 के रहन रख रखा है इसलिए प्रतिवादी सं. 20 ता 23 को उक्त वाद में बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। खातेदार उदमीराम पुत्र मामचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं. 12 ता 18 को उक्त वाद में बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। विवादित कृषिभूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिये अदालत हाजा को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात में वादीनी का कब्जा काश्त के अनुसार खाता अलग से विभाजित किया जाकर अलग से राजस्व रिकॉर्ड कायम किया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 की ओर से श्री जीताराम शर्मा एवं श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। वकील वादी व प्रतिवादीगण ने वादी व प्रतिवादी सं. 09 का विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने पर आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। प्रतिवादी सं. 09 ने दिनांक 05.09.2025 जवाब दावा मय काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। वकील वादी ने काउंटर क्लेम स्वीकार किये जाने में अनापत्ति जाहिर किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 एवं 10 ता 18 की ओर से जवाब दावा नहीं पेश करना जाहिर किया। प्रतिवादी सं. 09 की ओर से पेश जवाब दावा मय काउंटर क्लेम को वकील वादी द्वारा स्वीकार करने पर अनापत्ति जाहिर की गई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 09 के साक्ष्य दिनांक 12.09.2025 को करवाये गये। साक्ष्य के तौर पर वादी व प्रतिवादी सं. 09 ने शपथ पत्र पेश किये एवं बयान लेखबद्ध करवाये गये। जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार प्रतिवादी संख्या 18 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित आयें और राज्यहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया। प्रकरण में दावा व प्रतिदावा का खण्डन पेश नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं गई। विद्वान अभिभाषक पक्षकारान ने वाद पत्र के

Jayendra

तथ्यों को दोहारते हुए विवादित कृषिभूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 09 के हक हिस्सा तक की भूमि का खाता विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निवेदन किया।

3. वकील वादीनी की बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक संलग्न राजस्व रिकार्ड नकल जमावंदी वादीनी विवादित कृषिभूमि की रिकार्डेड खातेदार है। वकील प्रतिवादी सं. 09 ने दौरान ए बहस संयुक्त आराजी में से वादीनी के कब्जा काश्त के साथ साथ प्रतिवादी सं. 09 के कब्जा काश्त कृषिभूमि का खाता विभाजन किये जाने का निवेदन किया।

4. मैंने प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् अंतिम चौसाला आधार सम्वतः– 2073–2076 जमावंदी का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि संयुक्त आराजी खाता सं. 376 के ख. नं. 911/247 तादादी 7.2456 हैक्टयर तथा खेत खाता सं. 12 के ख. नं. 144 तादादी 10.3436 है0, ख.नं. 161 तादादी 19.3089 है0 रोही मौजा रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू जो कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। तत्पश्चात पक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 12.09.2025 को प्राथमिक निर्णय एवं पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर तहसीलदार तारानगर द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./25/2114 द्वारा दिनांक 15.10.2025 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने दौराने बहस जाहिर किया कि तहसीलदार तारानगर द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव से पक्षकारान सहमत है एवं उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ही वाद वादी व काउंटर क्लेम प्रतिवादी संख्या 09 के अनुसार डिक्री किया जाने हेतु पक्षकार सहमत है। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया और मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के खाता विभाजन करने का निवेदन किया।

5. वकील पक्षकारान द्वारा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर की गई बहस सुनी गई एवं जमावंदी सम्वतः– 2073–2076 का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि संयुक्त आराजी खाता सं. 376 के ख. नं. 911/247 तादादी 7.2456 हैक्टयर तथा खेत खाता सं. 12 के ख. नं. 144 तादादी 10.3436 है0, ख.नं. 161 तादादी 19.3089 है0 रोही मौजा रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू जो कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित हैं। राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। अतः पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजी विधिक तकासमा तहसीलदार तारानगर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व संलग्न नक्शे के अुनसार किया जाना आवश्यक है। अतः

**आदेश है कि**

*दावा वादी व काउंटर क्लेम प्रतिवादी संख्या 09 अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बावत खाता विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव मय संलग्न नक्शा के तहत स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है एवं संयुक्त आराजी खाता सं. 376 के ख. नं. 911/247 तादादी 7.2456 हैक्टयर तथा खाता सं. 12 के ख. नं. 144 तादादी 10.3436 है0, ख.नं. 161 तादादी 19.3089 है0 रोही मौजा रेड़ी तहसील तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का खाता विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार विभाजित किया जाता है :–*

- *वरंग नारंगी खसरा नं. 911/247 मीन तादादी 0.2023 है0 जो कि सन्तोष कुमार पत्नि देवकी नंदन हिस्सा पूर्ण जाति जांगिड़ निवासी रेड़ी खातेदार।*

Jayendra

• वरंग पीला खसरा नं. 911/247 मीन तादादी 0.5985 है0, ख.नं. 911/247 मीन तादादी 0.1602 है0 कुल किता 02 कुल तादादी 0.7587 है0 जो कि रामनिवास शर्मा पुत्र गोपीराम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी रेड़ी खातेदार।

• वरंग नीला खसरा नं. 911/247 मीन तादादी 6.0317 है0, खसरा नं. 911/247 मीन तादादी 0.2529 है0 कुल किता 02 कुल तादादी 6.2846 है0, जो कि किशनाराम पुत्र मामचन्द हिस्सा 14501/62846 जाति जाट, दीपचन्द पुत्र उदमीराम हिस्सा 4784/62846 जाति जाट, धनपत पुत्र रामेश्वर हिस्सा 6322/62846 जाति जाट, नानूराम पुत्र मामचन्द हिस्सा 9130/62846 जाति जाट, पपूसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 2529/62846 जाति राजपूत, परताराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 3706/62846 जाति जाट, भंवरी देवी पत्नी मोमनराम हि. 993/62846 जाति जाट, भंवरी देवी पत्नि शंकरलाल हिस्सा 148/62846 जाति जाट, ममता पुत्री उदमीराम हिस्सा 2393/62846 जाति जाट, मोमनराम पुत्र मामचन्द हिस्सा 7235/62846 जाति जाट, रूक्मणी गुसाई पत्नी गुलाब गर हिस्सा 99/62846 जाति गोसांई (गुसाई), रोशनी देवी पत्नी देवीलाल हिस्सा 124/62846 जाति सुथार, रोहिताश कुमार पुत्र उदमीराम हिस्सा 4784/62846 जाति जाट, विकाश पुत्र मैना पुत्री उदमीराम हिस्सा 2392/62848 जाति जाट, श्योकरण पुत्र रूपाराम हिस्सा 3706/62846 जाति जाट निवासी रेड़ी।

• वरंग नीला खसरा नं. 144 तादादी 10.3436 है0, खसरा नं. 161 तादादी 19.3089 है0 कुल किता 02 कुल तादादी 29.6525 है0 जो कि किशनाराम पुत्र मामचन्द हिस्सा 59346/296525 जाति जाट, दीपचन्द पुत्र उदमीराम हिस्सा 19579/296525 जाति जाट, नानूराम पुत्र मामचन्द हिस्सा 55991/296525 जाति जाट, परताराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 30688/296525 जाति जाट, भंवरी देवी पत्नी मोमनराम हि. 4065/296525 जाति जाट, भंवरी देवी पत्नि शंकरलाल हिस्सा 609/296525 जाति जाट, ममता पुत्री उदमीराम हिस्सा 9790/296525 जाति जाट, मोमनराम पुत्र मामचन्द हिस्सा 55486/296525 जाति जाट, रूक्मणी गुसाई पत्नी गुलाब गर हिस्सा 406/296525 जाति गोसांई (गुसांई), रोशनी देवी पत्नी देवीलाल हिस्सा 508/296525 जाति सुथार, रोहिताश कुमार पुत्र उदमीराम हिस्सा 19578/296525 जाति जाट, विकाश पुत्र मैना पुत्री उदमीराम हिस्सा 9790/296525 जाति जाट, श्योकरण पुत्र रूपाराम हिस्सा 30689/296525 जाति जाट निवासी रेड़ी।

जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है व यथावत बैंक रहन रहेगी।

तहसीलदार तारानगर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा इस निर्णय व डिक्री का अनन्य भाग रहेगा। अंतिम पर्चा डिक्री पृथक से तैयार की जाकर पालनार्थ हेतु तहसीलदार तारानगर को भिजवाई जावे। आदेश जारी हो।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर–चूरू

यह निर्णय आज दिनांक 19/04/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर–चूरू

# डिक्री ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code,Appendix 'D')

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर**

**पीठासीन अधिकारी :– राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)**

**अनुवान सन्तोष बनाम किशनाराम आदि**

**दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**मुकदमा नम्बर 150 वर्ष 2025**

यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू हमारे हाजरी श्री अनिल कुमार स्वामी तारानगर एडवोकेट मिनजानिब मुदई श्री जीताराम शर्मा एडवोकेट एवं श्री मुकेश शर्मा एडवोकेट,राजपैरोकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि *दावा वादी व काउंटर क्लेम प्रतिवादी संख्या 09 अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत खाता विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव मय संलग्न नक्शा के तहत स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है एवं संयुक्त आराजी खाता सं. 376 के ख. नं. 911/247 तादादी 7.2456 हैक्टयर तथा खाता सं. 12 के ख. नं. 144 तादादी 10.3436 है0, ख.नं. 161 तादादी 19.3089 है0 रोही मौजा रेड़ी तहसील तारानगर तहसील तारानगर जिला चूरू की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण का खाता विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार विभाजित किया जाता है :–*

- *बरंग नारंगी खसरा नं. 911/247 मीन तादादी 0.2023 है0 जो कि सन्तोष कुमार पत्नि देवकी नंदन हिस्सा पूर्ण जाति जांगिड़ निवासी रेड़ी खातेदार।*
- *बरंग पीला खसरा नं. 911/247 मीन तादादी 0.5985 है0, ख.नं. 911/247 मीन तादादी 0.1602 है0 कुल किता 02 कुल तादादी 0.7587 है0 जो कि रामनिवास शर्मा पुत्र गोपीराम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी रेड़ी खातेदार।*
- *बरंग नीला खसरा नं. 911/247 मीन तादादी 6.0317 है0, खसरा नं. 911/247 मीन तादादी 0.2529 है0 कुल किता 02 कुल तादादी 6.2846 है0, जो कि किशनाराम पुत्र मामचन्द हिस्सा 14501/62846 जाति जाट, दीपचन्द पुत्र उदमीराम हिस्सा 4784/62846 जाति जाट, धनपत पुत्र रामेश्वर हिस्सा 6322/62846 जाति जाट, नानूराम पुत्र मामचन्द हिस्सा 9130/62846 जाति जाट, पपूसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 2529/62846 जाति राजपूत, परताराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 3706/62846 जाति जाट, भंवरी देवी पत्नी मोमनराम हि. 993/62846 जाति जाट, भंवरी देवी पत्नि शंकरलाल हिस्सा 148/62846 जाति जाट, ममता पुत्री उदमीराम हिस्सा 2393/62846 जाति जाट, मोमनराम पुत्र मामचन्द हिस्सा 7235/62846 जाति जाट, रूक्मणी गुसाई पत्नी गुलाब गर हिस्सा 99/62846 जाति गोसांई (गुसाई), रोशनी देवी पत्नी देवीलाल हिस्सा 124/62846 जाति सुथार, रोहिताश कुमार पुत्र उदमीराम हिस्सा 4784/62846 जाति जाट, विकाश पुत्र मैना पुत्री उदमीराम हिस्सा 2392/62848 जाति जाट, श्योकरण पुत्र रूपाराम हिस्सा 3706/62846 जाति जाट निवासी रेड़ी।*
- *बरंग नीला खसरा नं. 144 तादादी 10.3436 है0, खसरा नं. 161 तादादी 19.3089 है0 कुल किता 02 कुल तादादी 29.6525 है0 जो कि किशनाराम पुत्र मामचन्द हिस्सा 59346/296525 जाति जाट, दीपचन्द पुत्र उदमीराम हिस्सा 19579/296525 जाति जाट, नानूराम पुत्र मामचन्द हिस्सा 55991/296525 जाति जाट, परताराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 30688/296525 जाति जाट, भंवरी देवी पत्नी मोमनराम हि. 4065/296525 जाति जाट, भंवरी देवी पत्नि शंकरलाल हिस्सा 609/296525 जाति जाट, ममता पुत्री उदमीराम हिस्सा 9790/296525 जाति जाट, मोमनराम पुत्र मामचन्द हिस्सा 55486/296525 जाति जाट, रूक्मणी गुसाई पत्नी गुलाब गर हिस्सा 406/296525 जाति गोसांई (गुसांई), रोशनी देवी*

Rajendra

पत्नी देवीलाल हिस्सा 508/296525 जाति सुथार, रोहिताश कुमार पुत्र उदमीराम हिस्सा 19578/296525 जाति जाट, विकाश पुत्र मैना पुत्री उदमीराम हिस्सा 9790/296525 जाति जाट, श्योकरण पुत्र रूपाराम हिस्सा 30689/296525 जाति जाट निवासी रेड़ी।

जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है व यथावत बैंक रहन रहेगी।

राजीनामा व इसके साथा नक्शा निर्णय व डिक्री का अनन्य भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। ........................................................................................................ ........................................................................ बीज ........................ मुबलिग .............................. बाबत ............... .......... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ................................ फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ................................................... को अदा करें। मेंरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...19..... माह ...01....... सन 2026 को जारी की गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

| मुदई | रूपया | | पै. | मुदायलाहा | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरर्जीदावा | | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | | फीस कमिश्नर | | |
| फीस कमिश्नर | | | | बबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | | |
| मिजान | | | | मिजान | | |

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)